भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 294

सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024 / 25 अग्रहायण, 1946 (शक)

कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु नीति

***294. श्री आदित्य यादवः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार काम और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य को बढ़ावा देने के लिए बनाए गए कानूनों और नीतियों को अपनाने और लागू करने के लिए सभी राज्यों को प्रोत्साहित करती है, जिसमें बच्चों और अन्य आश्रितों की देखभाल की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्य व्यवस्था में लचीलापन बढाना शामिल है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को मातृत्व या पितृत्व अवकाश और अन्य प्रकार के अवकाश का लाभ मिले और उनके द्वारा ऐसे लाभ लिए जाने के समय उनके साथ भेदभाव न हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*

*****

"कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य स्थापित करने हेतु नीति" के संबंध में श्री आदित्य यादव द्वारा दिनांक 16.12.2024 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 294 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (घ): सरकार ने कार्य एवं पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन को बनाने के लिए उपाय किए हैं। वर्ष 2017 में प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में संशोधन किया गया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ महिला कर्मचारियों के लिए 26 सप्ताह का सवेतन प्रसूति अवकाश, तीन महीने से कम आयु के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने वाली महिला के लिए 3 महीने का अवकाश, कमीशनिंग मदर के लिए 12 सप्ताह का अवकाश, गर्भपात की स्थिति में 6 सप्ताह का अवकाश, तथा बच्चे के 15 महीने की आयु तक पहुंचने तक उसके परिचर्या हेतु उसके दैनिक कार्य समय में दो अवकाश हेतु उपबंध किए गए हैं। पचास या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान को अलग से या अन्य सामान्य सुविधाओं के साथ-साथ शिशु-गृह (क्रेच) सुविधा उपलब्ध करानी होगी।

यदि किसी महिला को सौंपे गए कार्य की प्रकृति ऐसी है कि वह घर से काम कर सकती है, तो नियोक्ता उसे प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त करने के पश्चात ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों, जिन पर नियोक्ता और महिला परस्पर सहमत हों, ऐसा करने की अनुमति दे सकता है।

इन उपबंधों को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में शामिल किया गया है।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में लागू किया जाता है।

'पालना' (पूर्व में कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना), एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसे दिनांक 01.01.2017 से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है, ताकि बच्चों (6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग) को क्रेच/ डे-केयर सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

सरकार ने हाल ही में दिनांक 31.01.2024 को एक परामर्शिका जारी की है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रोजगार और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता है, अर्थात प्रत्येक नियोक्ता को:

(क) एक साम्यपूर्ण कार्यस्थल को बढ़ावा देने के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन सुनिश्चित करना, जिसमें पितृत्व अवकाश, पेरेन्टल अवकाश, परिवार हेतु आपातकालीन अवकाश और लचीली कार्य व्यवस्था जैसे परिवार के अनुकूल उपायों को लागू करना शामिल है।

(ख) ऐसे उपाय करना जो न केवल महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी देखभाल की जिम्मेदारियों में भाग लेने के लिए टेलीवर्किंग सहित लचीले कार्य समय की व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित करे।

*****